

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक :- एफ.वी.9(1)(3)स्था/ब/सं.ब./पार्ट- 11/

दिनांक


कार्यालय आदेश

विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं में परीवीक्षाधीन अवधि में कार्यरत पशुधन सहायकों को 2 वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं 2 वर्ष की अवधि में इनके कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक रहने की संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित कर्मियों की नियुक्ति को इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से नियमित करते हुये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूचि (V) एवं नोटिफिकेशन नं. एफ.डी.(रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.20013 के अन्तर्गत वेतन बैंड 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800 एवं अन्य देय भत्ते आहरित किये जाने की नियमानुसार स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र सं	नाम कर्मचारी एवं पदस्थापन	पदस्थापन स्थान	नियुक्ति आदेश संख्या व दिनांक	कार्यग्रहण तिथि	नियमितीकरण तिथि
1	श्री रामहेत मीणा	जिला स्तरीय पशुधन आरोग्य चल पशु चिकित्सा इकाई, बारां	1189/04.09.2012	12.09.2012	12.09.2014
2	श्री सहदेव	पशु चिकित्सालय साण्डवा, चूरु	1189/04.09.2012	07.09.2012	07.09.2014
3	श्री कैलाश चन्द	पशु उपकेंद्र, नरसिंहपुरा, श्रीगंगानगर	1508-3308/03.10.2013	09.10.2013	09.10.2015
4	श्री रविन्द्र कुमार	पशुधन विकास उपकेंद्र, 3 एन.डी., श्रीगंगानगर	1508-3308/03.10.2013	09.10.2013	09.10.2015
5	श्रीमति रामजस मारुका	जि. आ.च.ई., नागौर	1508-3308/03.10.2013	09.10.2013	12.10.2015
6	श्रीमति जशोदा कामड़	पशुचिकित्सालय, हरसोर, नागौर	1508-3308/03.10.2013	09.10.2013	12.10.2015
7	श्री श्रवण घाँची	टी.एम.वी.यू. आहोर, जालौर	1508-3308/03.10.2013	09.10.2013	21.10.2015
8	श्री जगदीश प्रसाद	पशु चिकित्सालय सुरावा, जालौर	1508-3308/03.10.2013	14.10.2013	14.10.2015
9	श्री सुरेश कुमार	टी.एम.वी.यू., जसवंतपुरा, जालौर	1508-3308/03.10.2013	09.10.2013	09.10.2015


निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 952-958 दिनांक 03.01.2017 के क्रम संख्या 4 पर अंकित श्री अजीत सिंह नियमितीकरण दिनांक 11.10.2015, समसंख्यक आदेश क्रमांक 952-958 दिनांक 03.01.2017 के क्रम संख्या 9 पर अंकित श्री विरेन्द्र सिंह की नियमितीकरण दिनांक 11.10.2015 संशोधित की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारियों को स्वीकृत रनिंग पे-बैंड एवं ग्रेड-पे कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से उक्त वर्णित प्रावधानानुसार वेतन निर्धारण करेंगे।


(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी.9(1)(3)स्था/ब/सं.ब./पार्ट-11/1387-92 दिनांक 16/06/17
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्यलेखाधिकारी निदेशालय पशुपालन विभाग।
2. संबंधित अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक को भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारियों को अपने स्तर से प्रति उपलब्ध करावें।
4. कोषाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी।
5. प्रभारी स्थापन-ब निदेशालय, पशुपालन विभाग।
6. रक्षित पंजिका।
7. कम्प्यूटर शाखा।


अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)